फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ..... उपखण्ड अधिकारी ..... मुकाम ..... भादरा

..... बनाम ..... भानीराम

किस्म मुकदमा ..... रास्ता ..... नं. ..... 42/ 26.6.18 ..... सन् .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
26/6/18	आज यह पत्रावली न्यायालय आपके द्वारा केम्प लोकअदालत के दौरान इस दर्ज रास्ते के प्रार्थी ने राही मोकाचक 77 जज 8 के प्र.नं. 16 के बिन 12.19.22 को रास्ता स्वीकृत हेतु निर्णय किया था। अप्रार्थी सर्व उपस्थित। रास्ता स्वीकृति हेतु सहमत है तथा 30 फीट के स्थान पर सहमति दी गई है। सहमति पत्र स्वीकृत रास्ते का स्वरूप किया जाता है। अतः पुनर्वलित सहमति व राजीनामा के आधार पर राही मोकाचक 77 जज 8 के वाद संख्या 80/13 के प्र.नं. 16 के बिन 12-19-22 को प्रत्येक के 0.013 हेक्टेयर भूमि उनके हासिल से इतर रास्ता स्वीकृत किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ते का अंकन किया जावे। तहसीलदार भादरा के नाम आदेश जारी हो। आदेश पालना पश्चात पत्रावली इस्तगासा निकाली जावे।	पशु चिकित्सा अधिकारी प्रभारी राजकीय पशु चिकित्सालय भिरानी व भादरा (हनुमानगढ़)

अध्यक्ष
लोक अदालत भादरा

सदस्य
लोक अदालत
भादरा

कैम्प